किया गया 1.4.2000 से पेट्रोल और डीजल की सभी श्रेणियों के लिए एक बहुत सख्त उत्सर्जन मानक लागू किया जाएगा।

(6) सरकार ने स्वचालित वाहनों के ईधन की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम तैयार किया हैं दिल्ली में 1-4-1995 से कैटेलिटिक कन्वर्टर-युक्त नए चार पहिया पैट्रोल वाहनों के प्रयोग के लिए सीसा रहित पैट्रोल शुरू किया था। दिल्ली में 0.25 प्रतिशत का निम्न सल्फर डीजल 15 अगस्त, 1997 से प्रारंभ किया गया हैं। निम्न गुणवत्ता के खुले तेल की बिक्री को रोकने के लिए खुदरा ईंधन पेट्रोल पंपो पर पूर्व-मिश्रित ईंधन तेल मिश्रण सप्लाई किया जा रहा हैं।

(7) उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रयोग में लाए जा रहे वाहनों में सी.एन.जी. प्रोपेन और एल.पी.जी. जैसे साफ ईंधन को शुरू करना।

(8) दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में शहरी डिजाइन की 1500 बसें शामिल करके सार्वजानिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करने का प्रस्ताव हैं।

(9) प्रदूषण जांच प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की ट्यूनिंग और "प्रदूषण नियंत्रण में हैं" प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने 200 से अधिक निजी पेट्रोल पंपों और कार्यशालाओं को प्राधिकृत बढ़ाई जा रही हैं।

(10) एक समकलिक सिगनल प्रणाली तथा बेहतर यातायात प्रबंध व्यवस्था प्रारंभ की गई है।

(11) दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले अनेके उद्योग जो ऐसे क्षेत्रों में स्थित हैं जो अनुरूप नहीं हैं उन्हें बंद कर दिया गया हैं अथवा अनुकूल क्षेत्रों में पुनः स्थापित किया गया हैं।

(12) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अंतर्गत क्षेत्रों की विभिन्न श्रेणियों (आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और शांत क्षेत्र) के लिए शोर के संबंध में परिवेशी मानक अधिसूचित किए गए हैं। तद्नुसार दिल्ली शहर के लिए शांत क्षेत्र तैयार किए गए हैं।

(13) मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत प्रैशर हॉर्न पर पाबंदी लगाई गई है और संबंधित नियमों के अनुसार यातायात पुलिस द्वारा इनके उल्लंघन को रोका जा रहा हैं।

(14) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत मोटर वाहनों और घरेलू उपकरणों के लिए निर्माण स्तर पर शोर की सीमा निर्धारित की गई हैं।

(15) दिल्ली में इन्द्रप्रस्थ, राजघाट और बदरपुर तीन ताप विद्युत संयंत्रों में इलैक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स स्थापित किए गए हैं ताकि वातावरण में निलम्बित कणिकीय पदार्थ के बहिस्राव को कम किया जा सके। सल्फरडाइआक्साइड और नाइट्रोंजन आक्साइड की व्यापक मात्रा में निकासी के लिए उसका उत्सर्जन विशिष्ट ऊंचाई की चिमनियों के द्वारा किया जाता हैं ताकि इन गैसीय प्रदूषकों के निचले स्तर पर होने वाले जमाव को नियंत्रण में रखा जा सके। चिमनियों के मानीटरन का कार्य नियमित रूप से किया जाता हैं।

Stock of Foodgrains in the Central Pool

2003. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) the present position with regard to stock of foodgrains in the Central Pool at present; and

(b) the preparation made by Government to meet the growing demand of rice and wheat by different States in the monsoon season for meeting the need of public distribution system, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYA PAL SINGH YADAV): (a) The stocks of foodgrains (rice & wheat) in Central Pool as on 31st may, 1998 are as under:

(Fig. in lakh tonnes)

Commodity	Quantity
Rice	126.77 (p)
Wheat	159.28 (P)
TOTAL	286.05 (P)

(P-Pro visional)

(b) Keeping in view the requirement of foodgrains and availability of storage capacity in various regions detailed movement plan is drawn by the Food Corporation of India (FCI) for movement of foodgrains to different States. Arrangements for making adequate stocks available in FCI godowns are made well before the onset of the monsoon.

In addition, States have also been given advance allocation for buffer stocking of foodgrains for monsoon season. Mizoram & Arunachal Pradesh were given 20,000 tonnes & 5,000 tonnes rice respectively as advance allocation for buffer stocking for monsoon season on their request. Assam has been given 20,000 tonnes rice as additional allocation at Central Issue Prices applicable for above Poverty Line (APL) population for flood relief in view of coming monsoon season. Jammu & Kashmir has been given credit facility for three months from June, 98 to August, 98 to ensure completion of despatches of foodgrains to remote and inaccessible areas of the State well before the onset of the rainy season.

Steps to Meet Shortfall in Wheat Production

2004 SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have decided to import wheat this year; if so, the amount of wheat proposed to be imported;

(b) the estimated yield of wheat this year and the area under wheat cultivation; and

(c) the annual estimated demand and the shortage to be overcome by way of imports?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYA PAL SINGH YADAV): (a) Yes, Sir. As per the authorisation given by the Government, the State Trading Corporation of India has contracted for import of 15.00 lakh tonnes of wheat from Australia during 1998-99.

(b) As per latest estimates, area under wheat cultivation and production of wheat during 1997-98 are 257.51 lakh hectares and 663.84 lakh tonnes respectively. The yield of wheat during 1997-98 thus works out to 2578 kilograms per hectare.

(c) The demand of wheat at a given point of time depends upon a number of factors like population characteristics, production, availability, income distribution, price behaviour, consumer habits, availability of substitutes and other related actors. As such, it is difficult to assess the demand at a given point of time. However, government constantly reviews the stock position of foodgrains in the Central Pool vis-a-vis the prescribed minimum buffer norms, production of foodgrains in the country, trend of procurement, requirement for the Public Distribution System/Other Welfare Schemes, open market prices etc: and decision to import foodgrains is taken depending on the overall situation.

गेहूं और चावल की इकोनॉमिक प्राइस

2005. **श्री बरजिन्दर सिंह** :

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच हैं कि भारतीय खाद्य निगम ने गत कुछ वर्षो की तुलना में वर्ष 1997-98 में गेहूं और चावल की इकोनॉमिक प्राइस बढ़ा दी हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 में गेहूं और चावल की इकोनॉमिक प्राइस कितनी-कितनी थी; और

(ग) इकोनॉमिक प्राइस की गणना करते समय किस-किस मद में किए गए व्ययों को जोड़ा जाता हैं तथा ऐसे प्रत्येक मद में कितना-कितना व्यय होता हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव) : (क) से (ग) गेहूं और चावल की इक्नामिक लागत में खाद्यान्नों की एकीकृत लगात, वसूली प्रासंगित खर्चे, केवल गेहूं के मामले में